भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 654
03 फरवरी,2026 को उत्तरार्थ

विषय: दीर्घकालिक कृषि परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किसानों को ऋण सहायता

654. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कृषि मशीनरी, सिंचाई संरचनाओं और फसल कटाई के बाद की अवसंरचना जैसी दीर्घकालिक कृषि परिसंपत्तियों के सृजन अथवा खरीद के लिए किसानों को ऋण सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसी योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की वर्ष-वार और राज्य-वार और विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में जिला-वार संख्या कितनी है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा सहायता प्राप्त ऋण योजनाओं के अंतर्गत दीर्घावधि कृषि निवेश के लिए वर्ष-वार और राज्य-वार कुल कितना ऋण संवितरित किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने किसानों, विशेष रूप से छोटे, सीमांत और काश्तकार किसानों को दीर्घकालिक कृषि अवसंरचना के लिए ऋण प्राप्त करने में कमी या चुनौतियों का कोई आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और इन श्रेणियों के किसानों के लिए ऋण प्राप्ति सुगम बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग) : भारत सरकार एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के अंतर्गत 3% प्रति वर्ष ब्याज सहायता के माध्यम से ऋण सहायता प्रदान करती है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) और नबसंरक्षण के तहत 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज की भी सहायता दी जाती है। यह सहायता पात्र लाभार्थियों यथा किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), कृषि उद्यमी स्टार्ट-अप इत्यादि हेतु फसलोपरांत इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई ढांचे और कृषि परिसंपत्तियों जैसे कि कस्टम हायरिंग सेंटर, गोदाम, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, परख सुविधाएं, सौर पंप, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र और लॉजिस्टिक्स/आपूर्ति श्रृंखला इन्फ्रास्ट्रक्चर इत्यादि के निर्माण के लिए उपलब्ध है। पिछले तीन वर्षों में एआईएफ के तहत लाभार्थियों और वितरित वर्षवार और राज्यवार ऋण का विवरण, साथ ही आंध्र प्रदेश में लाभार्थियों के लिए जिलावार आंकड़े **अनुबंध** पर हैं।

(घ) एवं (ङ): एआईएफ को छोटे, सीमांत और काश्तकार किसानों सहित लाभार्थियों की व्यापक श्रेणियों को मध्यम/दीर्घकालिक संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऋण राशि पर कोई न्यूनतम सीमा नहीं है, जिससे छोटे और आवश्यकता-आधारित अवसंरचनात्मक परिसंपतियों का वित्तपोषण संभव हो पाता है, जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए उपयुक्त हैं। इसके अलावा, 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए भूमि को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है, जिससे काश्तकार किसानों और बटाईदारों को काफी लाभ मिलता है। सरकार ने इस स्कीम के तहत ऋण तक पहुंच, परिसंपत्तियों के प्रदर्शन और समग्र परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद द्वारा एक तृतीय-पक्ष प्रभाव आकलन अध्ययन कराया है। आकलन रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:-

(i) कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को राज्यों में गति देने के लिए एआईएफ एक सशक्त मंच के रूप में उभरा है। लाभार्थियों ने मशीनीकरण के कारण बेहतर मूल्य प्राप्ति की सूचना दी है।

(ii) राज्य विभागों, जिला एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों के साथ प्रभावी सहयोग ने व्यापक पहुंच और परिसंपत्तियों के निरंतर विस्तार को सुनिश्चित किया है।

(iii) ऋण देने वाली संस्थाओं ने उत्कृष्ट पोर्टफोलियो प्रदर्शन की सूचना दी है, जिसमें एनपीए 3% से कम है और समर्थित परियोजनाओं में से 97% से अधिक चालू हैं, जो उच्च निष्पादन दक्षता को दर्शाता है।

(iv) एआईएफ से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार सृजित होता है। प्रत्येक इकाई 8-9 प्रत्यक्ष और 4 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करती है, जिसमें 12-15% महिला भागीदारी होती है। यह मध्यम स्तर के कृषि उद्यमियों को सहयोग प्रदान करता है और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।

(v) भंडारण, कोल्ड चेन, प्रसंस्करण इकाइयों और कस्टम हायरिंग सेंटर में निवेश से प्रचालन दक्षता में सुधार हुआ है और मूल्य प्राप्ति बढ़ी है।

(vi) एआईएफ ने उद्यमों की विश्वसनीयता, कौशल और स्थानीय मान्यता को सुदृढ़ किया है, जिससे कृषि उद्यमिता को बढ़ावा मिला है, युवाओं के पलायन में कमी आई है और कोल्ड स्टोरेज, पॉलीहाउस और हाइड्रोपोनिक्स जैसी आधुनिक अवसंरचनाओं के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ा है।

अनुबंध

पिछले तीन वर्षों में एआईएफ के तहत लाभार्थियों और वितरित ऋण का वर्षवार और राज्यवार का विवरण, साथ ही आंध्र प्रदेश में लाभार्थियों के लिए जिलावार डेटा

वर्षवार- राज्यवार लाभार्थी और वितरित ऋण राशि (करोड़ रुपये में)									
क्र. सं.	**राज्य और केंद्र शासित प्रदेश**	**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**		**कुल**	
		लाभार्थियों की संख्या	**राशि**	**लाभार्थियों की संख्या**	**राशि**	**लाभार्थियों की संख्या**	**राशि**	**लाभार्थियों की संख्या**	**राशि**
1	आंध्र प्रदेश	396	310.42	357	309.55	1362	355.31	2115	975.28
2	अरुणाचल प्रदेश	1	1.51	2	0.92	-	0.00	3	2.44
3	असम	157	205.48	194	245.75	140	136.06	491	587.28
4	बिहार	435	233.45	409	330.63	752	393.27	1596	957.35
5	चंडीगढ़	1	-	2	1.77	1016	613.39	1019	615.17
6	छत्तीसगढ	325	345.12	513	436.15	1016	613.39	1854	1394.67
7	दिल्ली	1	0.31	4	6.43	3	7.75	8	14.49
8	गोवा	5	1.77	9	3.21	11	22.23	25	27.21
9	गुजरात	762	662.09	1023	718.88	1498	1270.47	3283	2651.44
10	हरियाणा	570	664.32	2061	868.31	3243	1069.16	5874	2601.79
11	हिमाचल प्रदेश	149	37.42	189	51.10	258	62.46	596	150.98
12	जम्मू और कश्मीर	31	32.65	52	107.01	128	179.36	211	319.02
13	झारखंड	90	58.10	112	105.62	194	125.07	396	288.79
14	कर्नाटक	882	814.85	993	864.32	1176	1039.64	3051	2718.80
15	केरल	687	240.01	954	236.31	1508	299.93	3149	776.26
16	मध्य प्रदेश	2602	1815.98	2864	1402.50	4935	1856.66	10401	5075.14
17	महाराष्ट्र	2502	1407.00	3729	1578.54	3683	1944.41	9914	4929.94
18	मणिपुर	1	0.10	1	0.19	-	0.00	2	0.29
19	मेघालय	2	6.92	-	0.00	1	-	3	6.92
20	नागालैंड	1	1.78	2	1.75	-	0.00	3	3.53
21	ओडिशा	303	205.94	965	476.95	1382	607.40	2650	1290.29
22	पुदुचेरी	1	0.75	1	1.10	4	1.23	6	3.08
23	पंजाब	2223	619.91	9755	2150.73	10188	1970.66	22166	4741.30
24	राजस्थान	536	539.34	1036	697.25	1240	506.11	2812	1742.70
25	तमिलनाडु	2660	669.61	1811	551.85	1185	746.97	5656	1968.43
26	तेलंगाना	636	662.38	670	716.27	936	702.69	2242	2081.35
27	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1	1.00	-	0.00	-	0.00	1	1.00
28	त्रिपुरा	2	2.18	3	6.40	5	0.59	10	9.17
29	उत्तर प्रदेश	1054	941.01	2503	1517.59	5093	2068.61	8650	4527.22
30	उत्तराखंड	103	109.95	183	126.53	205	178.13	491	414.61
31	पश्चिम बंगाल	757	457.56	1697	537.66	2642	648.84	5096	1644.06
कुल		17876	11048.94	32094	14051.28	43804	17419.78	93774	42519.99

आंध्र प्रदेश के जिलों के वर्षवार लाभार्थियों की संख्या					
क्र. सं.	**जिला**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**कुल**
1	अल्लूरी सीतारमा राजू	3		5	8
2	अनकापल्ली	6	7	40	53
3	अनंतपुरमु	19	18	66	103
4	अन्नमय्या	3	1	2	6
5	बापतला	17	17	36	70
6	चित्तूर	12	5	11	28
7	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कोनसीमा	12	5	34	51
8	पूर्वी गोदावरी	18	23	124	165
9	एलुरु	13	10	69	92
10	गुंटूर	28	14	28	70
11	काकीनाडा	9	10	61	80
12	कृष्ण	4	20	85	109
13	कुरनूल	11	9	66	86
14	नांदयाल	36	31	132	199
15	एनटीआर	5	10	71	86
16	पलानाडु	15	20	41	76
17	पार्वतीपुरम मान्यम	17	28	31	76
18	प्रकाशम	15	9	20	44
19	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	34	12	55	101
20	श्री सत्य साई	7	4	23	34
21	श्रीकाकुलम	37	43	86	166
22	तिरुपति	10	10	25	45
23	विशाखापत्तनम	5	9	13	27
24	विजयनगरम	34	19	115	168
25	पश्चिम गोदावरी	18	12	91	121
26	वाई.एस.आर.	8	11	32	51
कुल		396	357	1362	2115

*****